न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

सरकार बनाम सुखविन्द्र कौर वगैरा

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व(लैण्ड रेवेन्यू) अधिनियम 1956)

प्रकरण संख्या - 76/2018 निर्णय दिनांक -09.05.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :-

यह कि चक 9 जी.बी. के खाता संख्या 61 में कुल क्षेत्रफल से काश्तकारों के हिस्से के क्षेत्रफल का मिलान नहीं हो रहा है। चूंकि उक्त खाते के रकबा का इन्तकाल संख्या 23 के तहत सीलिंग अधिग्रहण से रकबा अधिग्रहण का नामान्तरणकरण के समय काश्तकारान के हिस्से में से अधिगृहित किये गये रकबे को कम नहीं किया गया जिस कारण से उक्त अपवादित खाते में रकबा का मिलान नहीं हो रहा है। पूर्व के रिकॉर्डों को अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया है कि अधिगृहित किया गया रकबा तत्समय काश्तकारान के रकबे में से नोशनल शेयर से रकबा कम होना था जो कि नामान्तरण संख्या 23 में कम नहीं हुआ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रस्तुत किये। पैरोकार राज की तरफ से रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार चक 9 जी.बी. के खाता संख्या 63 के मु.नं. 138/401(35) किला नं. 20/1 का 0.051 है.ख व मु.नं. 138/402(39) किला नं. 2 ता 4 का 0.759 है., 5 का 0.126 है., 7 का 0.127 है., 8 ता 12 का 1.265 है., 13 का 0.126 है., 19 का 0.127 है. = 2.530 है. कुल योग खाता संख्या 63 = 2.581 है. रकबा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड सुखविन्द्र कौर पत्नी महेन्द्र सिंह 3.644 है., अमरीक सिंह वल्द तारा सिंह 1.200 है., गुरजीत सिंह वल्द जगेन्द्र सिंह 1.569 है. कौम जटसिख सा. देह खातेदार नाम से दर्ज है। मौका पर चक 9 जी.बी. का मु.नं. 35 किला नं. 20/1 का 0.051 है. = 0.051 है. गै.मु. ढाणी रकबा पर जगजीत सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 11 जी.बी. व मु.नं. 39 के किला नं 10 का 0.253 है.= 0.253 है. रकबा पर जोधा सिंह पुत्र बलकार सिंह जाति जटसिख सा. 11 जी.बी. व मु.नं. 39 के किला नं. 2 का 0.253 है., 11-12 का 0.506 है., 19 का 0.127 है. = 0.886 है.रकबा पर गुरजीत सिंह पुत्र जगेन्द्र सिंह जाति जटसिख सा. 11 जी.बी. व मु.नं. 39 के किला नं. 3-4 का 0.506 है., 5 का 0.126 है., 7 का 0.127 है., 8-9 का 0.506 है., 13 का 0.126 है. = 1.390 है. रकबा पर सुखविन्द्र कौर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जटसिख सा. 9 जी.बी.

लगातार.........2

Priyanka
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

काबिज है। जबकि नोशनल शेयर सुखविन्द्र कौर पत्नी महेन्द्र सिंह का 1.467 है. रकबा, अमरीक सिंह पुत्र तारा सिंह 0.483 है. रकबा, गुरजीत सिंह पुत्र जगेन्द्र सिंह 0.631 है. रकबा कुल योग 2.581 है. का योग ठीक होता है परन्तु मौका पर काबिज गुरजीत सिंह व जोध सिंह के पास 1-1 बीघा का बैयनामा है जो कि अमरीक सिंह से खरीद शुदा है जिसमें मु.नं. 53 दर्ज है। परन्तु मौका पर उक्त मु.नं. 39 है। (उक्त बैयनामा क्रमांक क्रमशः 757/02-06-78 व मु. 282 दिनांक 02-06-78 संलग्न है) उक्तानुसार उक्त रकबा की दुरूस्ती में 1.390 है. रकबा सुखविन्द्र कौर पत्नी महेन्द्र सिंह के नामे व गुरजीत सिंह पुत्र जगेन्द्र सिंह के नामे 0.631 है. रकबा व अमरीक सिंह पुत्र तारा सिंह के नामे 0.506 है. रकबा दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन करने व रिपोर्ट पटवारी पर मनन करने पर पाया कि चक 9 जी.बी. का खाता संख्या 61 में सुखविन्द्र कौर पत्नी महेन्द्र सिंह 1.467 है., अमरीक सिंह पुत्र तारा सिंह 0.483 है., गुरजीत सिंह पुत्र जगेन्द्र सिंह 0.631 है. जाति जटसिख सा. देह खातेदार खाते का योग-2.581 है. काश्तकारान के हिस्से का योग-2.581 है. दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार श्री विजयनगर द्वारा प्रेपित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर चक 9 जी.बी. का खाता संख्या 61 में सुखविन्द्र कौर पत्नी महेन्द्र सिंह 1.467 है., अमरीक सिंह पुत्र तारा सिंह 0.483 है., गुरजीत सिंह पुत्र जगेन्द्र सिंह 0.631 है. जाति जटसिख सा. देह खातेदार खाते का योग-2.581 है. काश्तकारान के हिस्से का योग-2.581 है. दर्ज करने के दुरूस्ती आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.05.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उप जिला मजिस्ट्रेट
श्रीविजयनगर

Scanned by CamScanner